न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 130/2022

अनवान : –

1. छोटूराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. जगदीश पुत्र रूघा उर्फ रूघाराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
2. जीतराम पुत्र रूघा उर्फ रूघाराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
3. रूघा उर्फ रूघाराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
4. झमसिंह पुत्र रूघा उर्फ रूघाराम जाति जाट निवासी कर्मशाना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर। ।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 25/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 60/46 के ख0न0 108/1 की 6.4500 हैक्ट भूमि सायल के पिता बहादुरसिंह पुत्र रिड़माल के नाम दर्ज है।

रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 93/71 के ख0न0 108/3 की 1.3910 हैक्ट, ख0न0 108/6 की 5.0590 हैक्ट भूमि, ख0न0 113 की 1.7330 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण स0 6 व 7 के पास रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 60/46 के ख0न0 108/1 की 6.4500 हैक्ट भूमि हिस्से में आई व ख0न0 108/1 के चिपते हुए गैरसायलान स0 1 ता 4 के नाम दर्ज ख0न0 108/6 की कृषि भूमि स्थित है तथा गैरसायल स0 1 ता 4 आये दिन सायल के ख0न0 108/1 की भूमि की सीवं व डोल को नष्ट कर रहे है तथा सायल के साथ आये दिन झगड़ा रखते है तथा सायल के खेत की चर्तूसीमाएं बने हुए है परन्तु गैरसायलान लालच वंश अपने खते की सीमा बढ़ाने के कारण सायल के साथ झगड़ा रखते है इसलिए सायल गैरसायलान स0 1 ता 4 के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के मिजाज है कि सायल के ख0न0 108/1 में सींव व डोल को मिस्मार न करे व सा[illegible] न देवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश [illegible] गया। रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 6[illegible]3/1 की 6.4500 [illegible] भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई [illegible]प्रार्थीगण उक्त भूमि [illegible] सींव व डोल को मिस्मार न करे।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा उपस्थित। जवाब नही देना चाहते है इसलिए बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। पपत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हकों/सीवं व डोल का निर्धारण मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक दुसरे के चिपते पड़ौसी खातेदार काश्तकार है प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा है एवं लेकिन अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हों। प्रार्थी द्वारा अपनी स्वयं की भूमि पर स्थगन चाहा गया हो जो की संदेहास्पद है। उक्त विवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्ध होता है क्योंकि प्रार्थी, अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में अप्रार्थी को ही, पाबन्द करवाना चाहता है।। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 17.06.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/02/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:45 IST
Reason: SelfAttested